	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 6, रविवार, शाके 1933–मार्च 27, 2011 *Chaitra 6, Sunday, Saka 1933–March 27, 2011*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(Group-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 27, 2011

No. F. 2(7) Vidhi/2/2011.–The Following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 25th day of March, 2011 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) ACT, 2011

(Act No. 5 of 2011)

[Received the assent of the Governor on the 25th day of March 2011]

An

Act

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.– (1) This Act may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 30th December, 2010.

2. Amendment of section 14, Rajasthan Act No. 38 of 1961.– In clause (a) of sub-section (2) of section 14 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961), the existing proviso shall be substituted, namely:-

> "Provided that no sale or purchase shall be permitted under this clause within the market proper except for the purposes specified in sub-clauses (i) and (iv) ;" .

3. Repeal and savings.– (1) The Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 05 of 2010) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been taken or made under the principal Act as amended by this Act.

सत्य देव टाक,
Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2011

संख्या प. 2 (7) विधि/2/2011.-राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2011 (एक्ट नं. 5 ऑफ 2011)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 5)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई]

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह 30 दिसम्बर, 2010 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1961 **के राजस्थान अधिनियम सं.** 38 **की धारा** 14 **का संशोधन.-**राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38) की धारा 14 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु कोई भी विक्रय या क्रय इस खण्ड के अधीन, उप-खण्ड (i) और (iv) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के सिवाय, मुख्य मण्डी के भीतर अनुज्ञात नहीं किया जायेगा;"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 05) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

सत्य देव टाक,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।